रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12022024-252012
CG-DL-E-12022024-252012

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 95] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2024/माघ 23, 1945
No. 95] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2024/MAGHA 23, 1945

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024

सं. आई.बी.बी.आई/2023-24/जी.एन/आर.ई.जी.112.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) के विनियम 2ख के उप-विनियम (1) में, दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि परिसमापक केवल उन मामलों में समझौते या ठहराव की प्रस्थापना फाइल करेगा जहां ऐसी सिफारिश समिति द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 39खक के अधीन की गई है :

परन्तु यह और कि परिसमापक, समापन प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन पश्चात् ऐसी प्रस्थापना फाइल नहीं करेगा ।"

3. मूल विनियमों के विनियम 14 में, "वह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारपोरेट ऋणी के पूर्व विघटन और विघटन संबंधी ऐसे आवश्यक निर्देशों के लिए" शब्दों के स्थान पर "वह परामर्श समिति से परामर्श करेगा और यदि वह शीघ्र विघटन की सलाह देती है तो वह, परामर्श समिति के विचारों को सम्मिलित करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट सहित, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को शीघ्र विघटन और विघटन संबंधी ऐसे आवश्यक निदेशों के लिए" शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल विनियमों के विनियम 31क में, -

(i) उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (ङ) में, "तरीका ।" शब्द और चिह्न के स्थान पर "तरीका;" शब्द और चिह्न रखा जाएगा ।

(ख) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(च) कारपोरेट ऋणी के चालू समुत्थान के रूप में विक्रय में असफलता की दशा में, विपणन रणनीति का पुनर्विलोकन;

(छ) कारपोरेट ऋणी द्वारा या उसके विरुद्ध किन्हीं वादों और विधिक कार्यवाहियों का जारी रहना या संस्थित करना;

(ज) अनुसूची 1 के पैरा 1 के खंड (12) में यथा-उपबंधित विक्रय प्रतिफल के बकाया का संदाय करने में 90 दिन से परे के विस्तारण को नीलामी सूचना में प्रकट करना ।"

(ii) उप-विनियम (6) में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि परिसमापक पश्चात्वर्ती बैठकें, जब तक कि परामर्श समिति ने ऐसी बैठकों के बीच की अवधि में विस्तार न किया हो, पिछली बैठक के तीस दिन के भीतर बुलाएगा:

परन्तु यह और कि प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक होगी ।"

(iii) उप-विनियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(6क) ऐसे सभी मामलों में, जहां परिसमापक कोई विधिक कार्यवाही जारी रखने या संस्थित करने की प्रस्थापना करता है वहां वह प्रस्थापना के लिए आर्थिक तर्काधार प्रस्तुत करने के पश्चात्, परामर्श समिति की सलाह की ईप्सा करेगा ।

(6ख) परिसमापक, प्रत्येक बैठक में, परामर्श समिति के समक्ष:

(क) प्राक्कलित लागत से अधिक लागत के लिए, यदि कोई है, कारणों सहित, वास्तविक समापन लागत;

(ख) समस्त विधिक कार्यवाहियों की समेकित स्थिति; और

(ग) प्रक्रिया में हुई प्रगति प्रस्तुत करेगा ।"

(iv) उप-विनियम (9) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, "मतदान" पद से परामर्श समिति के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया मतदान अभिप्रेत है ।"

5. मूल विनियमों के विनियम 32क में,

(i) उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण: इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि विनियम 32 के खंड (ङ) के अधीन कारपोरेट ऋणी के विक्रय की प्रस्थापना, प्रथम नीलामी के पश्चात् बोलीकर्ताओं के लिए एकमात्र विकल्प के रूप में नहीं की जा सकती है ।"

(ii) उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5) जहां परिसमापक की यह राय है कि कारपोरेट ऋणी को चालू समुत्थान के रूप में चलाना व्यवहार्य है तो वह परामर्श समिति से परामर्श करेगा और केवल उसकी सलाह पर वह कारपोरेट ऋणी के कामकाज को अनुमोदित सीमा तक चालू समुत्थान के रूप में चलाएगा ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 33 के उप-विनियम (2) में,-

(i) "अनुसूची-1 में निर्दिष्ट रीति के अनुसार निजी बिक्री के माध्यम से विक्रय करेगा । यदि" शब्दों के स्थान पर "विनियम 31क के अधीन परामर्श समिति के पूर्व परामर्श के पश्चात् ही अनुसूची 1 में निर्दिष्ट रीति में निजी बिक्री के माध्यम से विक्रय करेगा, यदि" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) खंड (ख) में, "संभावना होती है;" शब्दों और चिह्न के पश्चात् "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा ।

(iii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा ।

7. मूल विनियमों के विनियम 35 में, -

(i) उप-विनियम (2) में, "जहां परिसमापक की यह राय है कि" शब्दों के स्थान पर "जहां परिसमापक की, विनियम 31क के अधीन परामर्श समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय है कि" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) उप-विनियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(5) जहां मूल्यांकन उप-विनियम (2) के अनुसार किया जाता है वहां परिसमापक एक ऐसी बैठक सुकर बनाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, मूल्यांकन रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पूर्व, परामर्श समिति को वह पद्धति स्पष्ट करेगा जो मूल्यांकन करने में अपनाई जा रही है।

(6) परिसमापक, मूल्यांकन रिपोर्टों को, परामर्श समिति के सदस्यों को उनसे यह वचनबंध प्राप्त करने के पश्चात् सांझा करेगा कि वे उन रिपोर्टों के बारे में गोपनीयता बनाए रखेंगे और उन रिपोर्टों का उपयोग स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को अनुचित लाभ या अनुचित हानि पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे ।

(7) यदि उप-विनियम (2) के अधीन किसी आस्ति वर्ग के मूल्यांकन में भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 35 के अधीन मूल्यांकन से पच्चीस प्रतिशत का विचलन होता है तो परिसमापक एक ऐसी बैठक सुकर बनाएगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक, परामर्श समिति को अंतर के कारणों को स्पष्ट करेगा ।"

8. मूल विनियमों के विनियम 46 में,-

(i) उप-विनियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(7) कारपोरेट व्यक्ति के विघटन से पूर्व, कोई ऐसा हितधारक, जो कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, परिसमापक के समक्ष रकम की निकासी के लिए प्ररूप-I में आवेदन कर सकेगा।

(7क) परिसमापक, उप-विनियम (7) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, दावे का सत्यापन करने के पश्चात्, बोर्ड को वह रकम आगे वितरण के लिए उसे उन्मोचित करने का अनुरोध करेगा ।

(7ख) बोर्ड, उप-विनियम (7क) के अधीन अनुरोध प्राप्त करने पर, वह रकम परिसमापक को उन्मोचित कर सकेगा ।

(7ग) परिसमापक, हितधारक को वितरण करने के पश्चात्, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे वितरण की सूचना देगा ।

(7घ) कारपोरेट व्यक्ति के विघटन के पश्चात्, कोई ऐसा हितधारक, जो कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है, बोर्ड के समक्ष उस रकम की निकासी के आदेश के लिए प्ररूप-I में आवेदन कर सकेगा ।

(7ङ) यदि हितधारक से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति, कारपोरेट समापन खाते में जमा की गई किसी रकम का हकदार होने का दावा करता है तो वह, यथास्थिति, परिसमापक या बोर्ड का यह समाधान करने के लिए कि वह इस प्रकार हकदार है, साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ।"

(ii) उप-विनियम (8) में, "उप-विनियम (7)" अभिव्यक्ति के स्थान पर "उप-विनियम (7घ)" अभिव्यक्ति रखी जाएगी ।

(9) मूल विनियमों में, विनियम 46 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"46क. कतिपय आस्तियों का समापन संपदा से उपवर्जन

धारा 36 की उपधारा (4) के खंड (ङ) के प्रयोजनार्थ, जहां कहीं भी कारपोरेट ऋणी ने किसी भू-संपदा परियोजना में किसी आबंटिती को कब्ज़ा दे दिया है वहां ऐसी आस्ति कारपोरेट ऋणी की समापन संपदा का भाग गठित नहीं करेगी।"

(10) मूल विनियमों की अनुसूची I के पैरा 1 में, -

(i) खंड 3 में, परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि परिसमापक, नीलामी सूचना में, विनियम 31क के उप-विनियम (1) के खंड (ज) के अधीन विस्तारित अवधि का उल्लेख करेगा ।"

(ii) खंड (4), खंड (4क) और खंड 4(ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) आरक्षित कीमत, विनियम 35 के अनुसार निकाला गया आस्ति का मूल्य होगा और जहां कोई नीलामी असफल होती है वहां पश्चात्वर्ती नीलामियों में आरक्षित कीमत को एक बार में अधिकतम दस प्रतिशत तक और घटाया जा सकेगा :

परन्तु ऐसे मामलों में, जहां आस्ति की असफल नीलामी में आरक्षित कीमत विनियम 35 के उप-विनियम (1) के अधीन मूल्यांकन के अनुसार नियत की गई थी वहां परिसमापक, परामर्श समिति की सलाह पर, आरक्षित कीमत को प्रक्रिया के दौरान एक बार पच्चीस प्रतिशत तक घटा सकेगा ।"

(iii) खंड (12) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(12) नीलामी के समाप्त होने पर, उच्चतर बोलीकर्ता को ऐसी मांग किए जाने के नब्बे दिन के भीतर या ऐसी अवधि के भीतर, जो खंड 3 के अधीन नीलामी सूचना में उल्लिखित है, अतिशेष विक्रय प्रतिफल देने के लिए आमांत्रित किया जाएगा:

परन्तु तीस दिन क पश्चात् किए गए भुगतानों पर बारह प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा:

परन्तु यह और कि यदि इस खंड के अधीन प्रदान की गई अवधि के भीतर भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो विक्रय रद्द कर दिया जाएगा ।"

(11) मूल विनियमों की अनुसूची-I के पैरा 2 में, खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) क्रेता को, प्राइवेट विक्रय की पुष्टि, विनियम 33 के अधीन परामर्श समिति के परामर्श के पश्चात् की जाएगी ।"

(12) मूल विनियमों की अनुसूची-II में, प्ररूप क के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

IndiaCode

"प्ररूप क

हितधारकों के साथ किए गए परामर्श की रिपोर्टिंग के लिए प्रोफार्मा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 8 और विनियम 31क के अधीन]

क्रम सं.	सी.डी. और बैठक की मूलभूत ब्यौरा		
(क)	परिसमापक का नाम और रजिस्ट्रीकरण सं.		
(ख)	कारपोरेट ऋणी का नाम		
(ग)	बैठक की तारीख		
(घ)	अंतिम बैठक की तारीख		
(ङ)	अंतिम बैठक के पश्चात् दिनों की संख्या		
(च)	अंतिम बैठक की कार्यसूची का ब्यौरा जिसे एस.सी.सी. द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था		
	कार्यसूची की मदों का ब्यौरा	**कार्यवृत्त का पैरा, जहां उस पर चर्चा की गई थी**	**टिप्पणी**
(क)	विनियम 7 के अधीन नियुक्त व्यावसायिकों, जिसके अंतर्गत प्रक्रिया सलाहकर, आई.पी.ई., आदि हैं, के पारिश्रमिक		
(ख)	विनियम 32 के अधीन विक्रय, जिसके अंतर्गत विक्रय की रीति, बोली-पूर्व अर्हताएं, आरक्षित कीमत, विपणन रणनीति और नीलामी प्रक्रिया भी है		
(ग)	परिसमापक की फीस		
(घ)	विनियम 35 के उप-विनियम (2) के अधीन मूल्यांकन		
(ङ)	मुकदमेबाजी की स्थिति और इस मुकदमेबाजी को चलाने का लागत फायदा विश्लेषण		
(च)	प्रारंभिक रिपोर्ट		
(छ)	वह रीति, जिसमें अधिमानी संव्यवहारों, न्यून-मूल्यांकित संव्यवहार, अतिशत उधार संव्यवहार या कपटपूर्ण या सदोष व्यापार, यदि कोई हैं, की बाबत कार्यवाहियों का समापन कार्यवाहियों के पश्चात् परिशीलन किया जाएगा और वह रीति, जिसमें इन कार्यवाहियों से आगमों को, यदि कोई हैं, वितरित किया जाएगा		
(ज)	समापन लागत		
(झ)	अतिशेष विक्रय प्रतिफल के भुगतान के लिए नब्बे दिन से परे समयावधि का विस्तारण		
(ञ)	कारपोरेट ऋणी के कारोबार को चलाना, यदि वह आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य है		
(ट)	कारपोरेट ऋणी का शीघ्र विघटन		
(ठ)	कार्यसूची की अन्य कोई मद		

"

IndiaCode

13. मूल विनियम की अनुसूची-II के प्ररूप ज में,

(i) पैरा 4 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) समापन प्रक्रिया के दौरान वसूल की गई रकम

क्रम सं.	**वसूलियां**	**रकम (रूपयों में)**
1	समापन प्रारंभ होने की तारीख को यथा-विद्यमान आरंभिक अतिशेष(क)	
वसूलियां (ख)		
2	आस्तियों की नीलामियां	
3	आस्तियों का प्राइवेट विक्रय	
4	आसानी से न वसूली-योग्य आस्तियों का समनुदेशन	
5	अविक्रीत आस्ति का वितरण	
6	अन्य(विनिर्दिष्ट करें)	
कुल (क+ख)		

"

(ii) पैरा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"4क. धारा 52 के अधीन प्रतिभूत लेनदारों द्वारा प्रतिभूति हित की वसूली के ब्यौरे:

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**ब्यौरे**
1	उन प्रतिभूत लेनदारों की संख्या जिन्होंने ने प्रतिभूति हित का परित्याग नहीं किया था	
2	ऐसे प्रतिभूति हित का समापन मूल्य(रुपए)	
3	प्रतिभूत लेनदारों के स्वीकृत दावे की रकम(रुपए)	
4	ऐसे प्रतिभूत हित से की गई कुल वसूलियां(रुपए)	
5	विनियम 21क(2) के अनुसार किए गए कुल अंशदान (रुपए)(i+ii+iii) i.प्रतिभूत लेनदारों द्वारा कर्मकारों के देयों मद्धे किया गया अंशदान(रुपए) ii. प्रतिभूत लेनदारों द्वारा असंदत्त सी.आई.आर.पी. और समापन लागत मद्धे किया गया अंशदान(रुपए) iii. आस्ति की वसूल की गई रकम का आधिक्य(रुपए)	
6	प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्राप्त किया गया वसूल किया गया मूल्य(रुपए)	
7	प्रतिभूत लेनदार द्वारा वसूली की तारीख	

4ख. आसानी से न वसूली-योग्य आस्तियों के समनुदेशन के ब्यौरे:

क्रम सं.	**विशिष्टियां**	**ब्यौरे**
1	आस्तियों के ब्यौरे	
2	आस्तियों का समापन मूल्य(रुपए)	
3	वसूल की गई रकम(रुपए)	
4	बोलीकर्ता का नाम	

IndiaCode

5	बोलीकर्ता और लेनदारों/'कारपोरेट ऋणी, यदि कोई है, के बीच आगमों का विभाजन	
6	बोलीकर्ता द्वारा वसूली की गई रकम का अनुसूची	

"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./749/2023-24]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 460, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.005, तारीख 15 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 सं. 456, तारीख 16 सितम्बर, 2022 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2022-23/जी.एन./आर.ई.जी.094, तारीख 16 सितम्बर, 2022 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 द्वारा किया गया था ।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2024

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2024

No. IBBI/2023-24/GN/REG112.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These Regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), in regulation 2B, in sub-regulation (1), for the second proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided further that the liquidator shall file the proposal of compromise or arrangement only in cases where such recommendation has been made by the committee under regulation 39BA of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016:

Provided further that the liquidator shall not file such proposal after expiry of thirty days from the liquidation commencement date."

3. In the principal regulations, in regulation 14, for the words "he may apply to the Adjudicating Authority", the words "he shall consult the consultation committee and if it advises for early dissolution, he may apply, along with a detailed report incorporating the views of the consultation committee, to the Adjudicating Authority", shall be substituted.

4. In the principal regulations, in regulation 31A,

(i) in sub-regulation (1),

(a) in clause (e), for the word and mark "distributed.", the word and mark "distributed;", shall be substituted.

(b) after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(f) review of marketing strategy in case of failure of sale of corporate debtor as a going concern;

(g) continuation or institution of any suits or legal proceedings by or against the corporate debtor;

(h) extension of payment of balance sale consideration as provided in clause (12) of Para 1 of Schedule I, beyond ninety days, to be disclosed in the auction notice."

(ii) in sub-regulation (6), after the proviso, the following additional provisos, shall be inserted, namely:-

"Provided further that the liquidator shall convene subsequent meetings within thirty days of the previous meeting, unless the consultation committee has extended the period between such meetings:

Provided further that there shall be at least one meeting in each quarter."

(iii) after sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(6A) In all cases where the liquidator proposes to continue or initiate any legal proceeding, he shall, after presenting the economic rationale for the proposal, seek the advice of the consultation committee.

(6B) In every meeting, the liquidator shall present to the consultation committee:

(a) the actual liquidation cost along with reasons for exceeding the estimated cost, if any;

(b) the consolidated status of all the legal proceedings; and

(c) the progress made in the process."

(iv) in sub-regulation (9), the following explanation shall be inserted, namely:-

"*Explanation*: For the purpose of this sub-regulation, the term 'voting' shall mean voting cast by the representatives of the consultation committee."

5. In the principal regulations, in regulation 32A,

(i) in sub-regulation (4), the following explanation shall be inserted, namely:-

"*Explanation*: For the purpose of this sub-regulation, it is hereby clarified that the sale of the corporate debtor under clause (e) of regulation 32 cannot be offered as the only option for bidders after the first auction."

(ii) after sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(5) Where the liquidator is of the opinion that it is viable to run the corporate debtor as a going concern, he shall consult the consultation committee and only on its advice he shall run the affairs of the corporate debtor as a going concern to the extent approved."

6. In the principal regulations, in regulation 33, in sub-regulation (2),

(i) for the words "private sale in the manner specified in Schedule I when", the words, "private sale only after prior consultation with the consultation committee under regulation 31A, in the manner specified in Schedule I when", shall be substituted.

(ii) in clause (b), after the word and mark "immediately;", the word "or", shall be inserted.

(iii) clause (c) shall be omitted.

7. In the principal regulations, in regulation 35,

(i) in sub-regulation (2), for the words, "where the liquidator is of the opinion", the words, "where the liquidator after consultation with the consultation committee under regulation 31A, is of the opinion", shall be substituted.

(ii) after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

"(5) Where valuation is undertaken as per sub-regulation (2), the liquidator shall facilitate a meeting wherein registered valuers shall explain the methodology being adopted to arrive at valuation to the consultation committee before finalisation of valuation reports.

(6) The liquidator shall share the valuation reports with the members of the consultation committee after obtaining an undertaking that they shall maintain the confidentiality of such reports and shall not use these reports to cause an undue gain or undue loss to itself or any other person.

(7) In case there is deviation of twenty five percent in the valuation of an asset class under sub-regulation (2) from valuation under regulation 35 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, the liquidator shall facilitate a meeting wherein the registered valuers shall explain the reasons for the difference to the consultation committee."

8. In the principal regulations, in regulation 46,

(i) for sub-regulation (7), the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

"(7) Prior to dissolution of the corporate person, a stakeholder, who claims to be entitled to any amount deposited into the Corporate Liquidation Account, may apply to the liquidator in Form-I for withdrawal of the amount.

(7A) On receipt of request under sub-regulation (7), the liquidator after verification of the claim, shall request the Board for release of amount to him for onward distribution.

(7B) The Board on receipt of request under sub-regulation (7A) may release the amount to the liquidator.

(7C) The liquidator shall, after making the distribution to the stakeholder, shall intimate the Adjudicating Authority of such distribution.

(7D) After dissolution of the corporate person, a stakeholder, who claims to be entitled to any amount deposited in the Corporate Liquidation Account, may apply to the Board in Form-I for an order for withdrawal of the amount.

(7E) If any person other than the stakeholder claims to be entitled to any amount deposited to the Corporate Liquidation Account, he shall submit evidence to satisfy the liquidator or the Board, as the case may be, that he is so entitled."

(ii) in sub-regulation (8), for the expression "sub-regulation (7)", the expression "sub-regulation (7D)", shall be substituted.

9. In the principal regulations, after regulation 46, the following regulation shall be inserted, namely: -

"46A. Exclusion of certain assets from the liquidation estate.

For the purposes of clause (e) of sub-section (4) of section 36, wherever the corporate debtor has given possession to an allottee in a real estate project, such asset shall not form a part of the liquidation estate of the corporate debtor."

10. In the principal regulations, in Schedule I, in para 1,

(i) in clause 3, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the liquidator shall mention in the auction notice, the period extended under clause (h) of sub-regulation (1) of regulation 31A."

(ii) for clause (4), clause (4A) and clause (4B), the following clause shall be substituted, namely:-

"(4) The reserve price shall be the value of the asset arrived at in accordance with regulation 35 and where an auction fails, the reserve price in subsequent auctions may be further reduced by not more than ten percent at a time:

Provided that in cases where the reserve price of the failed auction of the asset was fixed as per the valuation under sub-regulation (1) of regulation 35, the liquidator may, on the advice of the consultation committee, reduce the reserve price up to twenty-five percent, once during the process."

(iii) for clause (12), the following clause shall be substituted, namely:-

"(12) On the close of the auction, the highest bidder shall be invited to provide balance sale consideration within ninety days or such period as mentioned in the auction notice under clause 3, of the date of such demand:

Provided that payments made after thirty days shall attract interest at the rate of twelve per cent.:

Provided further that the sale shall be cancelled if the payment is not received within the period provided under this clause."

11. In the principal regulations, in Schedule I, in para 2, after clause (3), the following clause shall be inserted, namely:-

"(3A) The private sale shall be confirmed to the buyer after consultation with the consultation committee under regulation 33."

12. In the principal regulations, in Schedule II, for Form A, the following Form shall be substituted, namely:-

"**FORM A**

PROFORMA FOR REPORTING CONSULTATIONS WITH STAKEHOLDERS

(Under Regulation 8 and Regulation 31A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016)

Sl. No.	**Basic details of CD and meeting**		
(a)	Name and Registration no. of Liquidator		
(b)	Name of corporate debtor		

(c)	Date of the meeting		
(d)	Date of last meeting		
(e)	Number of days since last meeting		
(f)	Details of agenda of last meeting which were not approved by the SCC		
-	**Details of agenda items**	**Para of the minutes of the meeting where the same was discussed**	**Remarks**
(a)	Remuneration of professionals appointed under regulation 7, including process advisors, IPE, etc.		
(b)	Sale under regulation 32, including manner of sale, pre-bid qualifications, reserve price, marketing strategy and auction process		
(c)	Fees of the liquidator		
(d)	Valuation under sub-regulation (2) of regulation 35		
(e)	Status of Litigations and cost benefit analysis of pursuing these litigations		
(f)	Preliminary report		
(g)	Manner in which proceedings in respect of preferential transactions, undervalued transaction, extortionate credit transaction or fraudulent or wrongful trading, if any, shall be pursued after closure of liquidation proceedings and the manner in which the proceeds, if any, from these proceedings shall be distributed		
(h)	Liquidation cost		
(i)	Extension of time period for payment of balance sale consideration beyond ninety days		
(j)	Running the business of the corporate debtor in the event the same is economically unviable		
(k)	Early dissolution of the corporate debtor		
(l)	Any other agenda item		

IndiaCode

”

13. In the principal regulations, in Schedule II, in Form H,

(i) in para 4, for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) Amount realised during the liquidation process:

Sl. No.	**Realisations**	**Amount (Rs.)**
1.	Opening balance as on liquidation commencement date (A)	
Realisations (B)		
2.	Auctions of assets	
3.	Private sales of assets	
4.	Assignment of not readily realisable assets	
5.	Distribution of unsold asset	
6.	Others (specify)	
Total (A+B)		

”

(ii) after para 4, the following paras shall be inserted, namely:-

"4A. Details of realisation of security interest by secured creditor under section 52:

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Number of secured creditors who did not relinquish security interest	
2.	Liquidation value of such security interest (Rs.)	
3.	Amount of admitted claim of secured creditors (Rs.)	
4.	Total realisation from such security interest (Rs.)	
5.	Total Contribution made as per regulation 21A(2) (Rs.) (i+ii+iii)	
	i. Contribution made by secured creditors toward workmen's dues (Rs.)	
	ii. Contribution made by secured creditors toward unpaid CIRP and Liquidation Cost (Rs.)	
	iii. the excess of the realised value of the asset (Rs.)	
6.	Realised value received by secured creditor (Rs.)	
7.	Date of realisation by secured creditor	

4B. Details of assignment of not readily realisable assets:

Sl. No.	Particulars	Details
1.	Details of the assets	
2.	Liquidation value of the assets (Rs.)	
3.	Amount realised (Rs.)	
4.	Name of the bidder	
5.	Sharing of proceeds between bidder and creditors/ corporate debtor, if any	
6.	Schedule of realisation by bidder	

"

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./749/2023-24]

Note : The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG005 dated 15th December, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 460 on 15th December, 2016 and were last amended by Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022 *vide* notification No. IBBI/2022-23/GN/REG094 dated the 16th September, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, *vide* No. 456 on 16th September, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.02.12 21:57:02 +05'30'

IndiaCode